न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 66/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.चुन्नीलाल उर्फ चूनाराम पुत्र श्री पमदाराम जाति धांची निवासी ग्राम रोहिचा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी । 02.जीवाराम पुत्र स्व0 श्री राजुराम 03.सुजाराम पुत्र स्व0 श्री राजुराम 04.मोतीराम पुत्र स्व0 श्री राजुराम 05.बाबूराम पुत्र स्व0 श्री राजूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोहिचा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर। 06.श्रीमती टीपू पत्नी श्री मंगलाराम पुत्री स्व0 श्री राजुराम जाति कुम्हार निवासी गोदा का बाडा तहसील समदडी जिला बाडमेर। 07.श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मोहनराम पुत्री स्व श्री राजुराम जाति कुम्हार निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर। 08.श्रीमती जमना पत्नी श्री मोहनराम पुत्री स्व श्री राजुराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री भवरलाल पटेल उपस्थित
2. अप्रार्थी सख्सा 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश प्रजापत उपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 19/4/2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पुनःदर्ज करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था, जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.09.2015 को स्वीकार कर लिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी बाबूराम वगैरा एवं अपील श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। इस अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 21.06.2017 को अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश को आपस्त करते हुए प्रकरण को उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से आदेश पारित हेतु प्रतिप्रेषित किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तामिल सुदा नोटिस प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2018 को प्रस्तुत कर न्यायहित में कमिश्नर नियुक्त नजदीकी रास्ते की मौका रिपोर्ट लिये जाने का निवेदन किया। इसके साथ फार्म नं. 3 में संलग्न दस्तावेज 1 व 2 प्रस्तुत किये तथा जो शामिल पत्रावली हैं। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 251(क) का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने वर्णित खसरों की स्थिति के लट्ठा ट्रेश नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न की हैं वह आधी–अधूरी पेश की जिससे वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं हो रहा हैं। प्रार्थी ने भ्रमित करने के लिये नक्शे का कुछ ही भाग पेश किया हैं जिससे नजदीकी स्थित रास्ता प्रकट नहीं हो। वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी की मूल भूमि खसरा नं. 7 व 8 हैं जो कि इनकी पैतृक भूमि है तथा एक ही मिसल बन्दोबस्त में दर्ज है। जिसके अनुसार खसरा सं. 8 प्रार्थी के पास व खसरा सं. 7 प्रार्थी के दूसरे भाइयों के पास चला गया। जिसका नजदीकतम मार्ग भाचरणा रोड से मात्र ढाई सौ से तीन सौ फीट की दूरी पर ही है। इस तरह इस खसरे का लघुत्तम मार्ग भाचरणा रोड पर स्थित है जो मात्र 250–300 फीट दूरी पर है। प्रार्थी महज अपनी अनुचित हठधर्मिता के चलते रास्ते हेतु गलत रूप से क्लेम कर रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर दृष्टि से खारिज योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र द्वारा धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे। इस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जबाबुल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से कुछ मनगढंत व कुछ तथ्यों को छिपाकर नए तथ्य पेश किये। अप्रार्थीगण प्रार्थी के लघुत्तम मार्ग को केवल मात्र कटाणी का नही करने के उदुदेश्य से बदनियती के कारण उक्त कार्य कर रहे है। यह भी कथन किया कि प्रार्थी का मार्ग खसरा सं. 7 व 8 से होकर खसरा न 3 में गुजरता हुआ सड़क पर जाता है, कभी यह भी दर्शित करता है कि खसरा नं 7 व 8 में से होकर खसरा नं. 2 में से गुजरता है और कहीं पर खसरा नं. 7 व 8 में से बताया जाता है। वास्तविक स्थिति यह है कि अप्रार्थी द्वारा कभी यह नहीं बताया गया कि प्रार्थी का कटाणी रास्ता किसी भी प्रकार से निर्बाण रूप से इन खसरों से सड़क पर जाता है। मात्र कल्पना की आड़ में श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य पेश कर गुमराह कर प्रार्थी के मार्ग को अवरूद्ध करने का मात्र प्रयत्न है। वास्तविकता में प्रार्थी के केवल नजदीकी रास्ता आज तक जाता था तो खसरा नं. 402/1/1 से 402/1 में होते हुए मुख्य सड़क धुन्धाड़ा पर ही निकलता है और इसी कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता से 4 बीघा जमीन खरीद की गई और खरीद के बाद प्रार्थी का निकटतम रास्ता खसरा नं. 8 से 402/1/1 अब खसरा न 1/2 से होते हुए खसरा नं. 402/1 में से मुख्य सड़क पर निकलता है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी व अप्रार्थीगण से 2 से 5 के मध्य एक सिविल वाद चला, जिस पर सभी पक्षकारान द्वारा श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क.ख.) व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष उक्त रास्ते के बारे में राजीनामा भी पेश किया और उक्त राजीनामा के पश्चात प्रार्थी आज तक खसरा सं. 8 से 402/1/1 से होता हुआ 402/1 में से मुख्य सड़क पर बिना किसी अवरोध के आता-जाता रहा है। इसलिये प्रार्थी द्वारा 20 फीट तक चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कानून साक्ष्य,दस्तावेजी सही व सत्य है, इसके अलावा प्रार्थी का कोई अति लघुत्तम मार्ग नहीं है। अतः प्रार्थी जबाबुल जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण सुंख्या 2 से 5 के जवाब प्रार्थना पत्र जो बिल्कुल गलत, मनगढंत, न्यायिक भावना के विपरीत व न्यायालय को गुमराह करने तथा आधारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। तथ्यों,साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के केवल खसरा नं. 8 से 402/1/1 से खसरा नं. 402/1 में से गुजरता हुआ मुख्य सड़क धुन्धाड़ा पर जाता है उसे बहाल कर कटाणी करावें।

अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लूणी से मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गयी। जो कार्यालय पत्रांक भू0अ0/2019/1518 दिनांक 03.06.19 प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.19 को लिखित बहस पेश की तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा भी लिखित बहस पेश की तथा आपत्ति कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट नये सिरे से प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह आपत्ति दी कि अप्रार्थीगण के पिता राजूराम के पुत्रियों को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर संशोधित वाद शीर्षक मय नोटिस पेश करें। प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.07.19 को संशोधित वाद शीर्षक व सम्मन पेश किये जो जारी किये गये।

वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के सम्मन पेश किये जो रजिस्टर्ड एडी से जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 7 का तामिल शुद्धा नोटिस प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 6,7,8 की रजिस्टर्ड एडी रसीद पेश की जो भी शामिल मिसल की गयी। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 6,7,8 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.04.21 को प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गयी।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन एवं विस्तृत विश्लेषण से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे अपील सख्या 110/2015 मे निर्णय दिनॉक 21.06.2017 की पालना मे अप्रार्थीगण को सुनवाई एव साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा जिनकी तामिल नियमनुसार प्राप्त हुई जों शामिल मिसल है। अप्रार्थी सख्या 2 से 5 की ओर से मुल प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रार्थी की ओर खण्डन किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी सख्या 2 से 5 की ओर से निषपक्ष मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाने की मांग पर तहसीलदार लूणी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका फर्द तलब की गई। जो कि तहसीलदार (भू.अ) लूणी के पत्रांक /भू0अ0/2019/1578 दिनॉक 03.06.2019 को प्राप्त हुई एवं शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अप्रार्थी सख्या 2 से 5 की ओर से मौका रिपोर्ट 03.06.2019 पर आपतियां प्रस्तुत की गई जिसमे कथन किया कि प्रार्थी का खसरा नम्बर 8 व उसके भाई का खसरा न 7 एक ही खातेदारी के है व बटवाडा के आधार पर अलग अलग हुये जो उनके पूर्वज मेराम वल्द नैना कौम धॉची के खातेदारी के रहे है इसलिये प्रार्थी अपने खेत मे अपने भाई के खसरा नम्बर 7 से होते हुये आता है ओर वही खसरा नम्बर 8 का लधूतम मार्ग है। इस बाबत अप्रार्थी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एवं सबूत न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये जिससे यह सिद्व होता है कि प्रार्थी का लघुतम मार्ग खसरा न 7 से होता हुआ मुख्य सडक पर आता है। परन्तु अप्रार्थीगण यह सिद्व करने मे असफल रहा कि प्रार्थी के लिये सुविधाजनक लधुतम रास्ता खसरा नम्बर 402/1/1वर्तमान खसरा न 1/2 मे जाने हेतु खसरा न 8 से होकर खसरा न 7 मे होता हुआ आगे खसरा न 3 व 4 मे से कटाणी रास्ते तक जाता है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज ठोस एवम प्रमाणित नही होने से इनको साक्ष्य सबूत के तौर पर नही माना जा सकता है इन दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को सुविधाजनक लधुतम रास्ते से वंचित नही किया जा सकता। अप्रार्थी सख्या 6 से 8 को रजिस्टी एडी से नोटिस भेजे गये अप्रार्थी सख्या 7 का तामिल शुद्वा नोटिस प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है तथा शेष की पजीबद्व एडी की रसीदे पेश की गई। जो शामिल मिसल है तथा अप्रार्थी सख्या 6 से 8 को जबाव प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया परन्तु जबाव पेश नही करने पर उनका जबाव बन्द किया गया।

प्रार्थी ने अपने खातेदारी भूमि से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता सिद्ध किया है और यह रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 8 की खातेदारी भूमि से होकर सुविधाजनक होने से प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिये की गई मांग न्यायोचित प्रतीत हो रही है। इस दृष्टिकोण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के खातेदारी भूमि में से कम की जाकर सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। तहसीलदार लूणी की मौका कमिश्नर मौका फर्द पत्रांक भू0अ0/2019/1518 दिनांक 03.06.19 इस आदेश का अंग समझा जावें। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना बताया गया तथा खसरा नं. 1/2 व खसरा नं. 8 की भूमि में आने जाने के लिये या पहुंच हेतु सबसे निकटतम रास्ता यही खसरा नं. 1/5 का रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। यही जो कि मुख्य सड़क धुन्धाड़ा–जोधपुर से निकटतम होने का उल्लेख है। इस कारण से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 89/2014 में निर्णय दिनांक 17.09.2015 को यथावत रखा जाता है। चूंकि इसी निर्णय अनुरूप राजस्व रेकर्ड में रास्ता का अमलदरामद नामान्तरकण संख्या 856 के जरिये हो चुका है। उक्त रास्ते के खसरा नं. 1/5 रकबा 0–13.15 बीघा गै.मु. रास्ता राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 89/2014 में निर्णय अनुसार रेकर्ड में इन्द्राज रास्ता खसरा नं. 1/5 रकबा 0–13.15 बीघा को मौके पर उभय पक्षकारान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

की उपस्थिति में सीमांकन करवाया जाकर उक्त रास्ता खुलवाया जाना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत करें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी